न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी :– हरभान मीणा, आर.ए.एस

अपील संख्या – 180 / 2018 / 223 आर टी ए

ओमप्रकाश पुत्र स्व. मनफुल जाति जाट निवासी वार्ड नं. 2 रतनपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

––अपीलांट / वारिस मृतक प्रतिवादी सं. 1

बनाम

1. मोहनलाल पुत्र कृष्णकुमार जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
2. सुरेन्द्र कुमार पुत्र कृष्णकुमार जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

–– रेस्पो0 / वादीगण

3. राधाराम पुत्र मलूराम जाति जाट निवासी चौटाला तहसील डबवाली जिला सिरसा हरियाणा।
4. इन्द्राज पुत्र मलूराम जाति जाट निवासी चौटाला तहसील डबवाली जिला सिरसा हरियाणा।
5. रामेश्वर पुत्र मलूराम जाति जाट निवासी चौटाला तहसील डबवाली जिला सिरसा हरियाणा।
6. श्योकरण पुत्र मलूराम जाति जाट निवासी चौटाला तहसील डबवाली जिला सिरसा हरियाणा।
7. स्रदारा पुत्र तेजा जाति जाट निवासी चौटाला तहसील डबवाली जिला सिरसा हरियाणा।
8. प्रभावती बेवा लीलाधर जाति जाट निवासी चौटाला तहसील डबवाली जिला सिरसा हरियाणा।
9. सुमित्रा पुत्री लीलाधर जाति जाट निवासी चौटाला तहसील डबवाली जिला सिरसा हरियाणा।
10. सजनकुमार पुत्र लीलाधर जाति जाट निवासी चौटाला तहसील डबवाली जिला सिरसा हरियाणा।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

11. कृष्णकुमार पुत्र लीलाधर जाति जाट निवासी चौटाला तहसील डबवाली जिला सिरसा हरियाणा।
12. रामकुमार पुत्र लीलाधर जाति जाट निवासी चौटाला तहसील डबवाली जिला सिरसा हरियाणा।
13. अजीतकुमार पुत्र लीलाधर जाति जाट निवासी चौटाला तहसील डबवाली जिला सिरसा हरियाणा।
14. ओमप्रकाश पुत्र लीलाधर जाति जाट निवासी चौटाला तहसील डबवाली जिला सिरसा हरियाणा।
15. मोतीलाल पुत्र रामेश्वरलाल जाति अग्रवाल निवासी संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
16. तहसीलदार राजस्व संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

——रेस्पो0/प्रतिवादी सं. 2 ता 15

17. पूर्णचंद पुत्र स्व. मंगतूराम पुत्र स्व. लाधूराम जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
18. दयालाराम पुत्र स्व. रूपराम पुत्र स्व. मगतूराम पुत्र स्व. लाधूराम जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
19. शंकरलाल पुत्र स्व. रूपराम पुत्र स्व. मगतूराम पुत्र स्व. लाधूराम जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
20. मदनलाल पुत्र स्व. रूपराम पुत्र स्व. मगतूराम पुत्र स्व. लाधूराम जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
21. उग्रसेन पुत्र स्व. देवीलाल पुत्र स्व. मगतूराम पुत्र स्व. लाधूराम जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
22. सीताराम पुत्र स्व. देवीलाल पुत्र स्व. मगतूराम पुत्र स्व. लाधूराम जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
23. दुलीचंद पुत्र स्व. देवीलाल पुत्र स्व. मगतूराम पुत्र स्व. लाधूराम जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
24. फूसाराम पुत्र स्व. रतनाराम पुत्र स्व. लाधूराम जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

25. ओमप्रकाश पुत्र स्व. रतनाराम पुत्र स्व. लाधूराम जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

26. लीलूराम पुत्र स्व. मनफूलराम पुत्र स्व. लाधूराम जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

——तरतीबी रेस्पो0/वारिस मृतक प्रतिवादी सं. 1

अपील विरूद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 11.09.2017 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी संगरिया प्र.सं. 317/2016 अनवानी मोहनलाल आदि बनाम लाधू आदि

उपस्थित :—

श्री राजेश कुमार छिम्पा अधिवक्ता अपीलांट

श्री रामनिवास अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 1 व 2

श्री खुशकरण सिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 16

निर्णय दिनांकः—13.06.2018

1. प्रकरण के सारगर्भित तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि रेस्पो0सं0 1 व 2/वादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 53 व 188 आरटीए पेश कर वादग्रस्त भूमि के संबंध मे खाता तकसीम हेतु अनुतोष चाहा गया। जिसमे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के मृतक पिता एवं अन्य प्रतिवादीगण के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए वादपत्र डिक्री किया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

2. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण अपीलांट की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि विरूद्व पारित की गई है। रेस्पो0 सं. व 2 ने वादपत्र प्रस्तुत करने के समय अपीलांट व रेस्पो0 सं. 17 ता 26 जो कि स्व. लाधूराम पुत्र डूंगरराम के विधिक वारिस थे, को पक्षकार नही बनाया तथा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तथ्य छुपाकर तथा मृत व्यक्ति ''लाधू वल्द डूंगरराम'' को वादपत्र मे पक्षकार बनाकर उक्त अपीलाधीन निर्णय व डिक्री हासिल की है, जो मृत व्यक्ति के विरूद्व तथा अदालत को गुमराह किया जाकर तथा उसके जायज वारिसान को इस वादपत्र मे पक्षकार नही बनाकर पूर्ण तरीके से कतई गलत व विधि विरूद्व रूप से हासिल की है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट व स्व. लाधू वल्द डूंगरराम के विधिक वारिसों को सुनवाई का कोई

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अवसर प्राप्त नही हुआ, इस कारण अपीलांट व स्व. लाधू के विधिक वारिसों को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत करने से वंचित रहे है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी सम्मन जो कि सिविल प्रक्रिया संहिता के आज्ञापक प्रावधानो के अनुसार विधिसम्मत तामील हुये बिना ही तथा मृत व्यक्ति के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए निर्णय व डिक्री पारित की गई है। उक्त खाता मे अपीलांट व स्व. लाधूराम के वारिसों का हक व स्सिा तथा कब्जा काश्त की भूमि थी। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री के जरिये जो भूमि दी गई है, उससे अपीलांट स्व. लाधू के वारिसों के विधिक हिस्सा प्रभावित हुआ है इसलिये अपीलांट व तरतीबी रेस्पो0 प्रभावित पक्षकार है। अधिवक्ता अपीलांट ने बहस के अन्त मे कथन किया कि अपीलांट को अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की कोई जानकारी नही थी दिनांक 31.05.18 को अपीलांट द्वारा अपनी भूमि की जमाबंदी की प्रमाणित प्रति हासिल की तथा अपने अधिवक्ता द्वारा से सम्पर्क किया तथा उसी दिन अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री की प्रमाणित प्रति हासिल की जिससे अपीलांट को सर्वप्रथम यह ज्ञात हुआ कि रेस्पो0 सं. 1 व 2 ने अधीनस्थ न्यायाल के समक्ष तथ्य छुपाकर तथा अपीलांट व स्व0 लाधू के विधिक वारिसान को पक्षकार बनाये बिना अपीलाधीन निर्णय व डिक्री हासिल की है। अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पक्षकार नही था तथा ज्ञान के दिवस से उसकी यह अपील अन्दर मियाद है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को अपास्त किया जावें।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 1 व 2 ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 11.09.2017 को निर्णय व डिक्री पारित की गई थी। उक्त निर्णय व डिक्री के विरूद्ध प्रस्तुत अपील के अपीलांट जो कि मृतक प्रतिवादी सं. 1 लाधूराम पुत्र डूंगर राम के वारिस है। अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पो0 सं. 1 व 2 के पक्ष मे डिक्री पारित की है जो मृतक प्रतिवादीसं. 1 के विरूद्ध पारित होने की स्थिति मे अपील अपीलांट स्वीकार किये जाने मे रेस्पो0 सं. 1 व 2 सहमत है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर प्रकरण विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जावें।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

5. विद्वान राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 16 ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रकरण मे विधि अनुसार निर्णय पारित करते हुए प्रकरण का निस्तारण किया जावें।

6. बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन करने उपरांत निष्कर्ष है कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करने से पूर्व विचारण न्यायालय ने अपीलांट व तरतीबी रेस्पो0 जो कि मृतक प्रतिवादी सं. 1 लाधूराम के वारिसान है, को पक्षकार नही बनाया गया और ना ही सुनवाई हेतु कोई नोटिस जारी किया है तथा ना ही विभाजन प्रस्ताव बाबत पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया है एवं अपीलाधीन प्रकरण मे बिना प्रभावित पक्षकारो को सुने तथा मृतक पक्षकार के विरूद्ध विभाजन का दावा डिक्री किया गया है। रेस्पो0 सं0 1 व 2/वादीगण ने भी अपील मे वर्णित तथ्यों को स्वीकार करते हुए अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने मे अपनी लिखित सहमति प्रस्तुत की है। ऐसी स्थिति मे अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

7. अतः उक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलांट स्वीकार योग्य होने के कारण आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 11.09.2017 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय मे इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण मे अपीलांट एवं तरतीबी रेस्पो0 जो प्रतिवादी सं. 1 लाधूराम के विधिक वारिसान को बतौर पक्षकार संयोजित करते हुए उभय पक्ष साक्ष्य एवं सुनवाई का

समुचित अवसर प्रदान करते हुए पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें। अधीनस्थ न्यायालय प्रकरण मे राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 मे विहित प्रावधानो की पालना सुनिश्चित करते हुए विभाजन हेतु अन्तिम डिक्री पारित करें। विभाजन प्रस्ताव हेतु मौका निरीक्षण की तिथि के संबंध मे तहसीलदार उभय पक्ष को विधिवत रूप से सूचित कर उभय पक्ष की उपस्थिति मे मौका निरीक्षण कर नियम 18 ता 21 के प्रावधानो के अनुसार प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत करें। तहसीलदार से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर सहखातेदारान की आपत्तियों/आक्षेपों पर सुनवाई कर नियमानुसार निस्तारण करते हुये विभाजन की अन्तिम डिक्री पारित करें। उभय पक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 16.07.2018 को उपस्थित हो। निर्णय की एक प्रमाणित प्रति अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित की जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 13.06.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(हरभान मीणा) आर..ए.एस
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ